

107 दण्ड प्रसंग

10

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

गौवरधन पुर्ती

काम

सादर पुर्ती वगैरह

आदेश पत्रक

M-55/2018

17/4/18

अभिलेख संख्या :- एम. 55/18 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

124  
17/4/18

थाना प्रमारी गुरदु के अप्राथमिकी संख्या :- 4/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभ्रमणना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं ..... अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 3/5/18 को उपस्थापित करें।

3/5/2018  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

04  
पुर्ती  
अ

5/5/18

पुनः पत्र के एक अलग उपाय विषय  
के ही अलग उपाय, उभय पत्र द्वारा सुलभ  
कार्य कर रहे. पत्रा. क्रि. 4/5-18 का 2-वें

4/5/18

पुनः पत्र के एक अलग उपाय विषय  
के ही अलग उपाय पत्रा. क्रि. 8/5-18  
का 2-वें

8/5/18

पुनः पत्र के एक अलग उपाय विषय  
के एक अलग उपाय पत्रा. क्रि. 10/5-18  
का 2-वें

10/5/18

पुनः पत्र के एक अलग उपाय, विषय  
के ही अलग उपाय उभय पत्रों  
ने आपस में सुलभनामा दायित्व किया इल  
कार्य का ही को चंद्रिकाकारों

10/5/18